भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1251

जिसका उत्तर सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

दादरा और नगर हवेली में माफ किए गए ऋण

1251. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास विगत दो वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में कॉर्पोरेट और किसानों के संबंध में माफ किए गए या बट्टे खाते में डाले गए कुल ऋणों का कोई रिकॉर्ड है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली में इस प्रकार कॉर्पोरेट और किसानों के लिए अलग-अलग ऋण माफी/बट्टे खाते में डाले गए ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सार्वजनिक वित्त और आर्थिक समानता के संदर्भ में कॉर्पोरेट ऋणों को बट्टे खाते में डालने की तुलना में किसानों को दी गई ऋण राहत के प्रभाव का कोई तुलनात्मक मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अवगत कराया है कि उसके द्वारा कार्पोरेट और किसानों के संबंध में माफ किए गए अथवा बट्टे खाते में डाले गए कुल ऋणों से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। तथापि, पिछले दो वित्तीय वर्षों (एफवाई) के दौरान बडे (उद्योगों और सेवाओं) और कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों से संबंधित श्रेणियों के लिए घरेलू परिचालन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों और लघु वित्त बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले गए ऋणों का वर्ष-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): ऋण को बट्टे खाते में डालना एक लेखांकन प्रक्रिया है और इससे देनदार (चाहे वह किसान हो या कार्पोरेट) को कोई राहत नहीं मिलती है। वाणिज्यिक बैंकों के लिए जारी किए गए भारतीय रिजर्व बैंक - तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान निदेश 2025 के अनुसार, बट्टे खाते में डालना (जिसका एक बड़ा हिस्सा तकनीकी/विवेकपूर्ण/संग्रह के तहत अग्रिमों के कारण है) किसी भी बैंक द्वारा अशोध्य ऋणों की बैलेंस शीट के शोधन के लिए की जाने वाली एक लेखांकन प्रक्रिया है, जिन्हें या तो वसूली योग्य नहीं माना जाता है या जिनकी वसूली से उधारदाताओं के अनुपातहीन संसाधनों के व्ययित होने की संभावना है। इस तरह के बट्टे खाते में डालने से उधारकर्ताओं की देनदारियों को माफ नहीं किया जाता है और इसलिए, इससे उधारकर्ता को कोई हितलाभ नहीं होता है। उधारकर्ता पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी बने हुए हैं और बैंक इन खातों में शुरू की गई वसूली कार्रवाइयों को जारी रखते हैं।

अनुबंध

दादरा और नगर हवेली में माफ किए गए ऋणों के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1251

बट्टे खाते में डाले गए ऋणों का श्रेणी-वार ब्यौरा

(राशि, करोड़ रुपये में)

बैंक समूह	बट्टे खाते में डाले गए ऋण			
	श्रेणी – बड़े - उद्योग और सेवाएं		श्रेणी – कृषि और संबद्ध गतिविधियां	
	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	39,675	15,213	13,017	19,418
निजी क्षेत्र के बैंक	6,822	4,345	6,710	11,778
लघु वित्त बैंक	198	271	2,140	2,366
विदेशी बैंक	873	656	14	42

*स्रोत: आरबीआई, घरेलू परिचालन (*वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनंतिम डेटा)*
